



जे.पी.आर.5- 829

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड  
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)

कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर-302005  
फोन नं0 - 0141-2747041, फ़ैक्स नं0 - 0141-2744803  
ईमेल - se\_comml@yahoo.in

क0 जेपीडी/अधी.अ.(वा.)/सी-1/पत्रा/प्रे0 2194

जयपुर, दिनांक- 03/01/2017

आदेश

विषय :- निवेशको से उद्यम स्थापना पूर्व का पंजीयन/उद्यमिता ज्ञापन/उद्योग आधार मेमोरण्डम की मांग नहीं करने बाबत।

प्रमुख शासन सचिव (सूक्ष्म लघु, मध्यम उद्यम विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 15(1)/ई एम सैल/यू ए एम-गाइड लाइन/2015-2016 दिनांक 24.11.2016 के अनुसार उद्योग स्थापना से पूर्व उद्योग विभाग से पंजीयन या उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

सूक्ष्म लघु, मध्यम उद्यम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में निगम द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर के उद्यमों से विद्युत कनेक्शन के सम्बन्ध में उद्योग विभाग के अस्थाई पंजीयन/उद्यमिता ज्ञापन भाग-। या उद्योग आधार मेमोरेण्डम की अनिवार्यता नहीं है।

आज्ञा से

( के .के. पुरोहित )  
अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)